न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

जमाबंदी रद्द अपील वाद सं0–492/2017–18

रवीन्द्र सिंह वगैरह बनाम राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
6-3-18	**आदेश** प्रस्तुत वाद रवीन्द्र सिंह वगैरह ने अपर समाहर्ता, पटना के जमाबंदी रद्द वाद सं0 11/2017–18 राज्य बनाम रवीन्द्र सिंह वगैरह में दिनांक 26.09.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध Bihar Land Mutation Act 2011 की धारा–9(6)(a) के अन्तर्गत दिनांक 17.11.2017 को जमाबंदी रद्द अपील आवेदन दाखिल किया। वाद प्रतिग्रहण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 23.12.2017 निर्धारित की गई। अभिलेख परिशीलन किया गया। दिनांक 10.02.2018 को अपीलार्थी की हाजरी पड़ी। परन्तु पुकार होने पर अनुपस्थित पाये गये। अपीलार्थी को अंतिम मौका देते हुए, अगली तिथि 06.03.2018 निर्धारित किया गया। पुनः दिनांक 06.03.2018 को अपीलार्थी की हाजरी पड़ी। पुकार होने पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित पाये गये। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थी को वाद संचालन में कोई अभिरूचि नहीं है। अतः अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए, वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित।** 6/3/18 6/3/18 समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना। समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।	